

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट - सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु में स्पाक ब्रेशन प्रा0 लि0 500 टी.पी.डी. (Extended upto 750 एम.टी.डी. कूड़े से 10 मेगावाट (Extended upto 15 मेगा वाट) विद्युत उत्पादन हेतु पी.पी.ए. अनुबन्ध होने के उपरान्त निष्पादित किया जा चुका है। अध्यक्ष टी.टी. जैड. अर्थोरेटी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 04.8.2018 को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की 40वीं बैठक दिनांक 06.2.2018 में टी.टी.जैड. प्राधिकरण द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु इस शर्त के साथ अनापत्ति/क्लियरेंस प्रदान की गयी है। पुनः अनुस्मारक दिनांक 04.8.2018 को भी पत्र प्रेषित किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 13381/1984 एम.सी. महता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में भी एन.ओ.सी. के लिये दिनांक 13.02.2019 को प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। उल्लेखनीय है, कि 17 जून 2019 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त पर सुनवाई हेतु सहमति प्रदान कर दी गयी है। जो सम्भवतः जुलाई के प्रथम सप्ताह में निर्णयत होने की सम्भावना है।

कैपिंग/बायोरेमिडेशन लीगेसी वेस्ट - वर्तमान लैण्डफिल साइट के क्लोजर/कैपिंग की विस्तृत कार्य योजना रिसोर्स एजेन्सी रीजनल सेन्टर फॉर अर्बन एण्ड इन्वाइरमेन्ट स्टडीज (आर.सी.यू.ई.एस.) के माध्यम से रू0 2735.00 लाख की तैयार की गयी। उक्त कार्य को शुरू करने के लिए शासन से धन उपलब्धता के लिए दिनांक 02.5.2018 को पत्र भी प्रेषित किया गया था। पुनः अनुस्मारक पत्र दिनांक 04.8.2018, दिनांक 07.03.2019 तथा पुनः पत्र 12.6.2019 को भी प्रेषित किया गया है, शासन से धन उपलब्धता होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

कांस्ट्रक्शन एवं डैम्यूलेशन वेस्ट - कांस्ट्रक्शन एवं डैम्यूलेशन वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु फर्म चयनित कर अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है, जनवरी माह से लगभग 14644 मैट्रिक टन वेस्ट को लेण्डफिल साइट पर ले जाया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 13381/1984 एम.सी. महता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में भी एन.ओ.सी. के लिये दिनांक 13.02.2019 को प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरान्त प्रसंस्करण शुरू होगा।

डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित करने की स्थिति :- घर-घर कूड़ा एकेत्र करने के लिये जोनवार 5 एजेन्सियों के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है।

क्र. सं.	जोन/क्षेत्र का नाम	संस्था का नाम	हाउस होल्ड	वर्तमान स्थिति (कवरेज)	प्रतिशत
1.	हरीपर्वत जोन	ओम मोटर कन्स्ट्रक्शन	81066	78684	97.06%
2.	ताजगंज जोन	अरवा एसोसिएट	66881	61762	92.34%
3.	लोहामण्डी क्षेत्र	एस.आर. मैप टेक्नोलॉजी	77111	71626	92.88%
4.	शाहगंज क्षेत्र	सोसायटी फार एजुकेशन एण्ड वैल्फेयर फॉर ऑल	61991	55123	88.92%
5.	छत्ता जोन	स्पाक ब्रैसन	159090	145398	91.39%

सभी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने जोन में सूखा एवं गीला कूड़ा उठाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही जोन में कूड़े को सोर्स से ही पृथक करने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। शत-प्रतिशत यूजर्स चार्ज कलेक्ट कराये जाने थे परन्तु पूर्व में वार्ड में कार्यरत मौहल्ले के सफाई कर्मचारी कुछ स्थानों पर चयनित संस्थानों को कूड़ा कलेक्शन करने पर उनका विरोध करती हैं, जिससे शत-प्रतिशत यूजर्स चार्ज कलेक्शन एवं कवरेज नहीं किया जा सका है। प्रतिमाह दी जा रही सेवा के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रभार शुल्क के रूप में संस्थाओं द्वारा 15 जून 2019 तक धनांक रु. 1,76,00,000.00 को जमा कराया गया है।



ताजमहल के आस-पास की स्ट्रीट स्वीपिंग

आगरा नगर निगम द्वारा बी.वी.जी इण्डिया लिमिटेड एजेंसी को ताजमहल के आस-पास के क्षेत्र की सड़क सफाई के लिये नियुक्त किया गया है। बी.वी.जी इण्डिया लिमिटेड द्वारा सफाई का कार्य 01.06.2018 से प्रारम्भ किया जा चुका है।



गीले कूड़े के निस्तारण हेतु प्लांट -

1. नगर से एकत्रित गीले कूड़े से कुबेरपुर स्थित साइट में 20 एम.टी.डी. का प्लांट कार्यरत है, जहां सिटी कम्पोस्ट तैयार कराया जा रहा है।
2. 2 एम.टी.डी. फूलों से कम्पोस्ट बनाने का प्लांट राजनगर में तैयार हो चुका है, जिसके द्वारा प्रतिदिन कम्पोस्ट तैयार कराया जा रहा है।



3. 2 एम.टी.डी. गीले कूड़े से कम्पोस्ट बनाने का प्लांट राजनगर में तैयार कर दिया गया है। तथा ट्रान्सपोर्ट नगर में 1 एम.टी.डी.का प्लांट स्थापित किया गया है।



4. बल्क वेस्ट जनरेटर हेतु गीले कूड़े के निस्तारण के लिये धांधूपुरा में प्रथम चरण में 4 टन प्रतिदिन क्षमता के आधुनिक फुली ओटोमैटिक नीदरलैण्ड की टैकनोलॉजी पर आधारित वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट जिसमें होटल, मैरिज हॉल, आर.डब्लू.ए, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के कचरे को प्रोसेस किये जाने हेतु (प्रोसेसिंग फीस रु. 12500/- प्रति टन, वेस्ट कलैक्शन फीस रु. 1000/- प्रति टन प्रति किलोमीटर) पे एण्ड यूज के आधार पर मै. नेशनवाइड वेस्ट मैनेजमेन्ट सर्विस (आपरेटर/कन्सैसनियर) के द्वारा डवलपमेन्ट, सप्लाई, इन्सट्रोलेशन एवं रख रखाव हेतु कामन प्रोसेसिंग फैसलिटी की स्थापना कर कचरे को प्रोसेस किया जाना है। आगरा नगर निगम द्वारा आपरेटर को 7500 वर्ग मीटर भूमि, रु. 1/- प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष की दर से लीज रेन्ट के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। आपरेटर द्वारा सिविल इन्फ्रास्ट्रैक्चर अर्थात बाउन्ड्रीवाल, फर्श, शैड एवं मशीनरी पर आने वाला व्यय स्वयं वहन किया गया है, जिस पर लगभग रु. 4.75 करोड़ व्यय हुआ है। मै. नेशनवाइड द्वारा आई.सी. एक्टिविटी भी बल्क वेस्ट जनरेटर को गीला व सूखा अलग अलग कर कचरे से निकलने वाले रीसोर्स पर भी फोकस करते हुए वेस्ट को रीसोर्स में कन्वर्ट कर पर्यावरणीय मानको को पूरा करने हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिए कम्पनी द्वारा समय समय पर डोर-टू-डोर (बल्क वेस्ट जनरेटर) कैम्पेन, गोष्ठीया, रेग पीकर्स को इन्ट्रीगेट किये जाने हेतु विभिन्न स्कीम, बल्क वेस्ट जनरेटर को भी प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभिन्न स्कीम। साथ ही प्लांट के चारो ओर वृहद वृक्षारोपण कर चारो तरफ का वातावरण सहज एवं सुखद बनाये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है।








सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु प्लांट -

1. सूखे कचरे के डोर टू डोर कलैक्शन हेतु विशेष रूप से तैयार किये गये कलैक्शन बैग्स के माध्यम से डोर-टू-डोर कलैक्शन एजेन्सियां द्वारा सूखा कूड़ा संग्रहण कर जोनवार निर्धारित ड्राई वेस्ट कलैक्शन पाइंट्स पर प्रतिदिन सूखा कूड़ा संग्राहित कर मै. नेशनवाइड वेस्ट मैनेजमेन्ट सर्विस प्रा.लि. तोल कर इक्कठा करते हुए विशेष रूप से तैयार किये गये वाहनों के माध्यम से मैटिरियल रिकवरी फैसिलिटी तक पहुँचाया जा रहा है। जहाँ लगभग 60 से 70 वर्कस द्वारा मैनयूली ड्राई वेस्ट सैग्रीगेशन एवं मैकेनिकल सैग्रीगेशन (बैल्ट कनवेयर) के माध्यम से सेग्रीगेड करते हुए 15 से 17 श्रेणी में विभाजित कर बैलिंग का कार्य करते हुए गजरोला एवं काशीपुर में स्थित रीसाइकिलिंग फैसिलिटी पर प्रतिदिन भेजा जा रहा है, साथ ही ऐसा मैटिरियल जो कि नान रीसाइकेलेबल है उसे गाजीपुर में स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन भेजा जा रहा है। साथ ही साथ शहर के ऐसे वेस्ट जनरेटर जो कि बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में है, उन्हें प्रतिदिन अपने वेस्ट को प्रोसिस किया जाना पर्यावरणीय बाध्यता है। अतः बल्क वेस्ट जनरेटर को सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत आगरा नगर निगम द्वारा पे एण्ड यूज के आधार पर (प्रोसेसिंग फीस रु. 6/- प्रति किलोग्राम तथा कलैक्शन फीस रु. 1/- प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर) अपने सूखे कचरे को पर्यावरणीय मानको के अनुसार प्रोसिस कराते हुए कम्पलाइन्स रिपोर्ट कम्पीटेन्ट अथोरिटी को भेज सकेगे। कम्पनी द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर के ड्राई वेस्ट को प्रोसेसिंग किये जाने हेतु 4 फैसिलिटी जिनकी क्षमता 210 टी.पी.डी. है, में 120 टन क्षमता की एम.आर.एफ. फैसिलिटी टेढ़ी बगिया (एन. एच. 93) मुख्य मार्ग पर स्थापित एवं नवम्बर 2018 से संचालित है। उल्लेखनीय है, कि 120 टन क्षमता की एम.आर.एफ. फैसिलिटी एवं भूमि शहर के विभिन्न 6 स्थानों पर ड्राई वेस्ट कलैक्शन पाइन्ट पर आने वाला व्यय जो लगभग 3.97 करोड़ है मै. नेशनवाइड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा. लि. द्वारा ही वहन किया गया है, इसमें नगर निगम पर कोई भी व्ययभार नहीं आया है।







ट्रान्सफर स्टेशन -

शहर में जमीन पर कूड़ा न पड़े इसके लिये 3 ट्रान्सफर स्टेशन बनाये गये हैं, जहाँ पर डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के पश्चात् गीला एवं सूखा कूड़ा अलग-अलग रखे जाने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर ट्रान्सफर स्टेशन बनाये गये हैं।

1. ताजगंज पूर्वी गेट
2. ताजगंज पुरानी मण्डी
3. आई.एस.बी.टी.

तथा तीन ट्रान्सफर स्टेशन 8.5 क्यूबिक मीटर के स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ताजगंज ए.बी.डी. एरिया में लगाये जाने हैं। तथा दो 10.5 क्यूबिक मीटर के ट्रासपोर्ट नगर और एक 10.5 क्यूबिक मीटर के संजय प्लेस में लगाये जाने का कार्य प्रगति पर हैं।

